मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर (म0प्र0)

फोन 0761–2678352, 2624131 फैक्स 2678537 www.mpslsa.gov.in

क्रमांक फा.नं.196/राविसेप्रा/ 3267/2019 जबलपुर दिनांक 19/02/2019

विज्ञापन शुद्धिकरण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्रोजेक्ट कन्सेल्टेंट, प्रोजेक्ट कोडिनेटर एवं प्रोजेक्ट आस्सिटेंट हेतु मैनपावर उपलब्ध कराये जाने के लिए विज्ञापन का प्रकाशन कराया जाकर प्री–बिड मीटिंग हेतु दिनांक 08.02.2019 निर्धारित किया गया था।

उक्त प्री–बिड मीटिंग में मैनपावर उपलब्ध कराये जाने वाले कम्पनियों/वेन्डर के प्रतिनिधि द्वारा राज्य प्राधिकरण से प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में विज्ञापन दस्तावेजों से संबंधित जिज्ञासा एवं सुझाव निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से अवगत कराये गये है। प्रस्तुत सुझाव पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार निराकरण किया जाता है। तदनुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है:–

1. ईएमडी तय करने का आधार क्या है ? जबकि सामान्य तौर पर ईएमडी टेंडर वैल्यू का 1 से 5 प्रतिशत निर्धारित की जाती है क्योंकि आपके द्वारा मांगे गए टेंडर की वैल्यू लगभग 53,00,0000/– (तिरेपन लाख) है। इस आधार पर ईएमडी राशि लगभग 2,61,000/– रू. होने चाहिए थी। जबकि आपके द्वारा 7,50,000/– रखी गई है ईएमडी से संबंधित प्रावधान बाबत कॉपी संलग्न है।

   उक्त बिन्दु के संबंध में :– यह EMD राशि लगभग एक महीने के वेतन अनुसार तय की गई है। यह राशि घटाकर 5 लाख कर दी जाती है।

2. **मैन पावर सप्लाई एजेंसी की भूमिका क्या होगी स्पष्ट करें:–** सिर्फ मैन पावर सप्लाई करना है या मेन पावर उपलब्ध करवा कर उनका वेतन एवं नियमानुसार भर्ती भी उपलब्ध करवाना अथवा मैन पावर सप्लाई कर एजेंसी द्वारा उन पर पूर्ण नियंत्रण रखा जावे गाया एजेंसी को केवल मैन पावर सप्लाई करने का कमीशन दिया जावेगा और कोई भी जवाबदारी नहीं होगी जैसा कि टेंडर डॉक्यूमेंट के टर्म एंड कंडीशन के पेज नंबर 23 में बिंदु 38 में उल्लेखित है (प्रपत्र 2)

   उक्त बिन्दु के संबंध में :– वेण्डर को चाही गई योग्यता के आधार पर बायोडेटा मध्यप्रदेश सालसा को प्रस्तुत करने होंगे, उसके आधार पर उन्हें चयनित किया जावेगा। The consolidate salary will be given to the vendor along with commission. After deduction of commission remaining amount will be given to the candidate.

3. लेबर एक्ट 1970:— टेंडर डॉक्यूमेंट के टर्म एंड कंडीशन के पेज नंबर दस में बिंदु एफ में यह बताया गया है लेबर एक्ट 1970 के तहत एजेंसी का पंजीयन होना चाहिए, जबकि इस एक्ट का पंजीयन न्यूनतम 20 व्यक्ति होने पर प्राप्त होता है एवं जब कभी सप्लाई एजेंसी द्वारा कहीं पर मैन पावर सप्लाई करने का टेंडर लिया जाता है तब उस एग्रीमेंट के आधार पर उक्त लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाता है। कृपया इस लाइसेंस की अनिवार्यता स्पष्ट करें क्योंकि आमतौर पर लेबर एक्ट 1958 के अंतर्गत पंजीयन की आवश्यकता होती है जबकि टेंडर उपरांत लेबर एक्ट 1970 के पंजीयन की आवश्यकता होती है।

उक्त **बिन्दु के संबंध में** :- Suggestion accepted and the vendor will submit the registration after awarding the tender, but not later than one month.

(विजय चंद्र)
सदस्य सचिव